भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2391

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

असम में बेरोजगारी दर

2391. श्री के. सुधाकरन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की पिछली दो दर्ज की गई अवधि के अनुसार असम में वर्तमान अनुमानित समग्र बेरोजगारी दर कितनी है और उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत से इसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में**,** विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुमानित बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितना है और पिछली उपलब्ध दर्ज की गई अवधि के लिए लिंग-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्य में महिलाओं और शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए असम सरकार के सहयोग से किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताओं और भौगोलिक बाधाओं के अनुरूप कोई विशेष कौशल विकास या रोजगार सृजन योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान 3.2% थी। इसके अनुरूप असम राज्य में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022-23 में 1.7% और वर्ष 2023-24 में 3.9% थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, ग्रामीण पुरुष और महिला के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 3.6% और 3.5% थी, जबकि शहरी पुरुष और महिला के लिए क्रमशः 5.7%, 11.8% थी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्टों में सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का आयु-वार ब्यौरा उपलब्ध है, जिसे https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार (असम में महिलाओं और शिक्षित युवाओं सहित) का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा athttps://dge.gov.in/dge/schemes_programmes देखा जा सकता है।

सरकार पूरे देश में कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत (असम सहित) के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए ऋण पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) पूर्वोत्तर उद्यम विकास योजना (एनईडीएफआई) के तहत 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ एक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को वार्षिक बजटीय आवंटन प्रदान कर रहा है, जो एमडीओएनईआर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।

प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है जिसका उद्देश्य असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, आवश्यकता-आधारित सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना और विकास अंतराल को दूर करना है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता**,** 2020 में 26 सप्ताह का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच एवं डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 ने महिलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कार्यों के लिए काम करने की इजाज़त दी है। इसमें इसके अतिरिक्त उनकी सहमति से उन्हें शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, काम के घंटों और छुट्टियों से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाए।

यह संहिता यह भी कहती है कि महिलाओं को किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में लगाने से पहले संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

केंद्रीय बजट (2024-25**)** में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****